म. प्र. विद्युत नियामक आयोग, भोपाल

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, ई–5, अरेरा कालोनी, बिट्टन मार्केट, भोपाल – 462016

फोन : 0755–2464643, 2430154 फैक्स : 0755. – 2981055

वेबसाइट : www.mperc.in ईमेल : secretary@mperc.nic.in

क्रमांक. मप्रविनिआ / संचा. (टै) /2058 भोपाल, दिनांक: 11/09/2023

सार्वजनिक सूचना

मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड जबलपुर (एमपीपीटीसीएल) द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 17 के अंतर्गत ओपीजीडब्ल्यू नेटवर्क के रिक्त डार्क फाइबर्स के वाणिज्यिक उपयोग की अनुमति हेतु मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के समक्ष याचिका प्रस्तुत की गई है। इसको आयोग ने **याचिका क्रमांक 33/2023** में पंजीकृत किया गया है।

याचिका की प्रति (अंग्रेजी संस्करण) आयोग की वेबसाइट http://www.mperc.in पर निःशुल्क उपलब्ध है। इस संबंध में आपत्ति/टिप्पणी/सुझाव प्रस्तुत करने के इच्छुक व्यक्ति अपनी आपत्तियों/टिप्पणियों/सुझावों को इसके समर्थन से संबंधित दस्तावेजों एवं साक्ष्यों की प्रतियों के साथ सीधे सचिव, म.प्र. विद्युत नियामक आयोग, पंचमतल, ई–5, अरेरा कालोनी, मेट्रोप्लाजा, बिट्टन मार्केट, भोपाल–462016 को प्रेषित करते हुए याचिकाकर्ता के लिए इसकी एक प्रति कार्यपालक निदेशक (सी आर ए), मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, ब्लॉक नं. 3, शक्ति भवन, जबलपुर 482008 को प्रेषित करेंगे, जो इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के 21 दिवस के अन्दर आयोग के कार्यालय में प्राप्त हो जाए। आपत्तियों/टिप्पणियों/सुझावों की अग्रिम प्रतियाँ फैक्स (0755–2981055) एवं ईमेल (secretary@mperc.nic.in) द्वारा भी अग्रेषित की जा सकती है। इस संबंध में शपथ–पत्र की आवश्यकता नहीं है ।

इच्छुक व्यक्ति, याचिका की प्रति (अंग्रेजी संस्करण) किसी भी कार्यालयीन दिवस में प्रातः 11.00 बजें से सायंकालीन 4.00 बजे तक के मध्य आयोग के कार्यालय अथवा एमपीपीटीसीएल, जबलपुर से, रूपये 200/– की राशि का नगद भुगतान कर अथवा अनुसूचित बैंक के डिमांड ड्राफ्ट जो कि जैसी स्थिति में हो, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को भोपाल में देय हो या क्षेत्रीय लेखाधिकारी एमपीपीटीसीएल, को जबलपुर में देय हो, प्राप्त की जा सकती है। डाक व्यय रूपये 50/– का अतिरिक्त भुगतान कर याचिका की प्रति डाक द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है।

इस प्रकरण में जन–सुनवाई का आयोजन दिनांक **10/10/2023** को प्रातः **11:00 बजे** किया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति जिन्होंने समय सीमा में अपने लिखित आपत्ति/टिप्पणी/सुझाव प्रस्तुत किये हैं, वे अपना मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आई.डी. आयोग को भेजकर उक्त जन–सुनवाई हेतु आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध गाईडलाईन्स के अनुसार उपस्थित हो कर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

आयोग के आदेशानुसार
सचिव